<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)</u>

पीठासीन अधिकारी :— दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या —103 / 2023 दायर दिनांक 26.09.2023 GCMS CASE NO-2023/103

मालू खां पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़

——अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
2. गोमी खां पुत्र हाजी खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर

——रेस्पोडेंटस

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित—

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से
3. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से

—::निर्णय::— दिनांकः 29.12.2025

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन विभाग द्वारा अपीलांट को रोही हिन्दौर में खसरा न. 181/12 में 15.00 बीघा भूमि टीसी आवंटन की गई तथा निशानदेही द्वारा अपीलांट को कब्जा दे दिया गया। अपीलांट संवत 2038 से आज तक लगातार काबिज चला आ रहा है। रोही हिन्दौर की गिरदावरी संवत 2038 ता 2041 में हिन्दौर के खसरा न. 181/12 में 32.14 बीघा रकबा राज दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा अपनी टीसी आवंटन का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही होने पर अपीलांट द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट अवगत करवाया कि रोही हिन्दौर में खसरा न. 181/12 में 8.020 है0 रकबा बारानी आराजीराज दर्ज कागजात है जो कि जमाबंदी संवत 2067 ता 70 के खाता संख्या 1 में भी दर्ज है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपीलांट की उक्त टीसी का इंतकाल संख्या 438 दिनांक 03.08.2022 को स्वीकार करते हुए दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.06.2011 को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर पटवारी रिपोर्ट में मालू खां पुत्र हाजी खां को टीसी पर रोही हिन्दौर का खरा न. 181/12 में 4.579 है0 बताया गया है। पटवारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मालू खां को खसरा न. 181/15 में 15.00 बीघ भूमि पुख्ता आवंटन दर्ज है, जिसमें अलग—अगल सर्वे को आधार मानकर आवंटन दर्ज है। वर्तमान सर्वे संवत 2038 के आधार पर लागू है जिसमें खसरा न. 181/15 के स्थान पर खसरा न. 181/12 दर्ज है। अतः खसरा न. 181/15 के स्थान 181/12 दर्ज किया जाना उचित माना है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट दिनांक 26.02.2014 में भी स्वीकार किया है कि आवंटी को आवंटन के समय खसरा न. 181/12 ही था जिसे [illegible] द्वारा इंतकाल संख्या 438 दिनांक 23.8.2022 को स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ [illegible] द्वारा अपीलांट के पीठ पीछे बिना अपीलांट को बिना सुने जैर अपील [illegible] अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से वकील श्री सर्वजीत छाबडा हाजिर आये। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील इंतकाल की जानकारी दिनांक 18.9.2023 को पटवारी हल्का से मिली। इससे पूर्व अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी नहीं थी। जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मियार शुमार की जावे। रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए निवेदन किया कि अपील मियाद बाहर है। प्रार्थना पत्र में देरी का सन्तोषप्रद कारण नही बताया है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की भलीभांती जानकारी होते हुए भी अपीलांट द्वारा जानबुझ कर देरी से यह अपील पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन करने से पाया कि जैर अपील रकबा अपीलांट के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा पर अपीलांट के हित निहित होने से अपीलांट प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट को जैर अपील इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण अंकित किया है वह भी सन्तोषप्रद है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। प्रकरण का तकनीकी बिन्दुओं पर निस्तारण ना करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करना हम उचित समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपील मीमों में अंकित तथ्य एवं मेरी अपील को साबित करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट को तहसील सूरतगढ़ के रोही हिन्दौर के खसरा न. 181/15 में 15.00 बीघा रकबा आवंटन हुआ जिसकी खातेदारी भी दिनांक 28.07.2008 को जारी हो चुकी है। खसरा न. 181/12 में मालू खां का कब्जा ही नहीं है। मालू खां द्वारा दो अलग–अलग खसरों में अपने नाम से पुख्ता आवंटन का इंतकाल दर्ज करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील इंतकाल खारिज दिया जो नियमानुसार सही एवं विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। जिससे पाया कि अपीलांट मालू खां को आवंटन एवं उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 18.08.2007 को रोही हिन्दौर के खसरा न. 181/15 में 15.00 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई, जिसके खातेदारी अधिकार तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 28.07.2008 को प्रदान किये गये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा आवंटी मालू खां के पुख्ता आवंटन के दो अलग–अलग इंतकाल यथा रोही हिन्दौर के खसरा न. 181/15 में 15.00 बीघा पुख्ता आवंटन का इंतकाल संख्या 118 दिनांक 21.01.2008 तथा रोही हिन्दौर के खसरा न. 181/12 में 15.00 बीघा पुख्ता आवंटन का इंतकाल संख्या 438 दि[illegible]2022 दर्ज कर दिये गये, जबकि मालू खां को पुख्ता आवंटित भूमि रोही हिन्दौर के [illegible] 15.00 बीघा भूमि का नामांतकरण ही दर्ज किया जाना था। तहसीलदार सूरतगढ़ [illegible] उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही जैर अपील नामांतकरण संख्या 438 दिनांक 13.08.2022 खारिज किया गया है जो विधिसम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

साबित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है। अतः जैर अपील आदेश यथावत रखना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 जिसके द्वारा रोही हिन्दौर का नामांतकरण संख्या 438 दिनांक 13.8.2022 खारिज किया गया है, को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.01.16 12:11:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner